न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 103/2021

प्रार्थीनी :–

1. शोभा अशोक जैन पत्नी अशोक जैन कौम ओसवाल साकिन वास्तु शिल्प गामडिया कॉलोनी तारदेव मुंबई।

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत

2 सरकारी पैरोकार विप्रार्थी

आदेश दिनांक :– 8.07.2021

प्रार्थीनी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि खसरा न0 535/143... रकबा 18–11 किस्म बा0 ओ मे जाने के लिए मौजा नेवाई में आवागमन के उपयोग हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा 143 रकबा 18–11 किस्म... बा0 आ0 में से 30 फिट चौडा रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/867 दिनांक 6.05.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा नेवाई में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 535/143. के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 143 रकबा 18–11 किस्म... बा0 आ0 खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है [illegible] प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डीएलसी दर 2700... रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 0–03 बीघा भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:33:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी वकील एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा नेवाई के खेत खसरा न0 535/143. जो पुश्त पर अंकित

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल 0-03 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा नेवाई के खसरा संख्या 143 रकबा 18-11 किस्म... बा0 आ0 की भूमि तक आवागमन करने हेतु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीनी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है। चुंकी प्रार्थीनी खातेदार टिनेन्ट है जिसका भूमि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.का.अ. में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थीनी कम्पनी के खसरा नम्बर 535/143... रकबा 18-11 किस्म बा0 आ मौजा नेवाई पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाड़मेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 143 रकबा 18-11 किस्म... बा0 आ0 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 270540/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल कुल 0-03 बीघा भूमि की राशि 40600 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 81200 /– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 8.07.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय का अभिन्न भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) पचपदरा

आदेश आज दिनांक 8.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) पचपदरा

Scanned with CamScanner